न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :— अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :— 66/2012 पुराना मु0 न0 126/2004

उनवान

1. कान्ता प्रसाद पुत्र जगदीश
2. घनश्याम पुत्र बदरी
3. सीताराम पुत्र बदरी
4. राधेश्याम पुत्र बदरी

समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम रईथा कलॉ, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

—वादीगण

बनाम

1. हरफूल दत्तक पुत्र रामकिशन जाति मीना निवासी रईथा कला तहसील व जिला सवाई माधोपुर (मृतक)

1/1 भरत लाल
1/2 बाबू लाल
1/3 रसीलाल
1/4 मेघराज
} पुत्रान हरफूल जाति मीना निवासी रईथा कलॉ, सवाई माधोपुर

1/5 प्रसादी पुत्री स्व0 हरफूल पत्नि हनुमान प्रसाद जाति मीना निवासी भेंसखेडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर

2. मोती
3. हंसा
} पिसरान रंगलाल जाति मीना निवासी रईथा कला,स0मा0

4. शंकर
5. भोलाराम
6. सत्यनारायण
7. रतन लाल
} पिसरान श्योकरण जाति मीना नि0 रईथा कलॉ, स0माधोपुर।

8. जगराम
9. प्रेमराज
10. रामप्रसाद
} पिसरान भेरू लाल जाति मीना नि0 रईथा कलॉ,तह0 व जिला स0मा0

11. सकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर ।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र इस्तकरार हक,स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,188,राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

अभिभाषक :—1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ऐड0 वादीगण
2. श्री उमाशंकर शर्मा ऐड0 प्रतिवादीगण
3. श्री गिरीश मीना ऐड0 प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः— **16.8.2018**

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

वादीगण द्वारा एक दावा इस्तकरार हक,स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,188,राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत पेश किया है। दावो के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादीगण एवं प्रतिवादीगण ग्राम रईथा कला। तह0 व जिला सवाई माधोपुर के खातेदार काश्तकार पेशा व्यक्ति है। 2. ग्राम रईथा कला में स्थित आराजी ख0नं0 242 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 243 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 244 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 828 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 829 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा के 1/3 भाग पर वादीगण का बजमाने बुजुर्गान के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व जमाबंदी सं0 2022 से 2025 की एवं पर्चा खतोनी बीस साला सं0 2009 से 2023 की वाद पत्र में पेश की है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण के अलग– अलग खेत बंटे हुए है उसी के अनुसार आज भी काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मृतक पांचू के एक मात्र वारिस है। मृतक रामकिशन,रंगलाल,बदरी के जीवनकाल के समय से हुए आपसी बंटवारे के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। 5. वादीगण के स्वामित्तव की कृषि भूमि की पर्चा खतोनी सं0 2009 से सम्पत् 2023 की वाद पत्र के साथ पेश की उसके अनुसार मृतक रामकिशन,रंगालाल बदरी पिसरान पांचू मीना का विवादित भूमि पर हिस्सा बराबर दर्ज है। पर्चा खतोनी वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। पर्चा खतोनी के अनुसार राजस्व जमाबन्दी सं0 2018 से 2021, संम्वत् 2022 से सम्वत 2025, संम्वत 2026 से 2029 की वाद के साथ संलग्न है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व रंगा,बद्री का हिस्सा बराबर दर्ज है। 6. राजस्व जमाबंदी संख्या 2038 से सं0 2041 की जमाबन्दी में मृतक रंगा के वारिसान के नाम दर्ज है। एवं मृतक बदरी का नाम हज्फ कर दिया है। जबकि मृतक बदरी के वारिसान आज भी मोजूद है। एवं मृतक बदरी के 1/3 हिस्से पर वादीगण आज भी काबिज काश्त है। जबकि वादीगण के पिता बदरी पुत्र पाचू की मुत्यु सन् 1987 में हुई थी एवं नामान्तरकरण संख्या 345 दिनांक 6.5.87 को राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया था। जिसकी प्रति वाद पत्र के संलग्न पेश की हैं। 7. प्रतिवादी संख्या 4,5,6 का मौके पर विवादित भूमि में मात्र 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्से पर ही कब्जा काश्त होते हुए भी राजस्व रिकार्ड की गलती के कारण वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि को भी रहन रखकर बडोदा बैंक शाखा कुण्डेरा से ऋण लेने पर आमादा है। 8. वादीगण को प्रतिवादी संख्या 4,5,6 के ऋण लेने के कृत्य की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 19.7.04 को होने पर वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है। 9. उपरोक्त विवाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी संख्या 4,5,6 द्वारा फर्जी तरीके से विवादित भूमि को रहन रखकर ऋण उठाने की कार्यवाही करने से वादीगण के जायज अधिकारों को ठेस पहुचने की पूर्ण सम्भावना पैदा हो गई है। एवं वादीगण के जायज अधिकारों की हमेशा के लिए क्षति पहुचने की पूर्ण सम्भावना पैदा हो गई है। एवं मना करने पर गाली गलोच पर उतारू हो गये। 10. प्रतिवादीगण कब्जे की भूमि को रहन रखकर ऋण प्राप्त नहीं कर सकें इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाईनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। 11. वर्तमान में विवादित भूमि के भू.प्रबंधक विभाग ने नये नम्बर बनाये है। एवं मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे की भूमि है उसी के अनुसार नये नम्बर बनाये है जो इस प्रकार से हैः– ख0नं0 242 रकबा 1बीघा 8 बिस्वा का नया नम्बर ख0नं0 1408 रकबा 71 एयर,ख0नं0 243 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा के नये नम्बर ख0नं0 483 रकबा 62 ऐयर,ख0नं0 484 रकबा 51 ऐयर,ख0नं0 1400 रकबा 16 ऐयर,,ख0नं0 1401 रकबा 26 ऐयर,ख0नं0 1402 रकबा 37 ऐयर,ख0नं0 1403 रकबा 12 ऐयर,ख0नं0 1404 रकबा 9 ऐयर,ख0नं0 1405 रकबा 18 ऐयर,ख0नं0 1406 रकबा 2 ऐयर,ख0नं0 1407 रकबा 5 ऐयर,ख0नं0 244 रकबा 11बिस्वा का नया नम्बर ख0नं0 485 रकबा 14 ऐयर, ख0नं0 828 रकबा 4 बिस्वा का नया नम्बर ख0नं0 1546 रकबा 5 ऐयर,ख0नं0 829 रकबा 16 बिस्वा का नया नम्बर ख0नं0 1540 रकबा 5 ऐयर ,ख0नं0 1541 रकबा 5 ऐयर,ख0नं0 1545 रकबा 1 ऐयर,ख0नं0 1547 रकबा 9 ऐयर बनाये गये है। भू.प्रबंध विभाग की जमाबंदी सं0 2054 से 2077 की एवं मिलान खसरा नम्बर वाद पत्र के साथ संलग्न है। 12. विवादित भूमि ग्राम रईथा कला में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। 13. वाद पत्र अन्दर म्याद व निश्चित न्यायालय शुल्क के साथ पेश किया है। 14. वाद पत्र वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।:– (ऐ)कि ग्राम रईथा कला तहसील

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में स्थित आराजी ख0नं0 242 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 243 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 244 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 828 रकबा 4 बेस्वा, ख0नं0 829 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाकर नवीन ख0नं. भू0प्रबंधविभाग द्वारा बनाये गये नया ख0नं0 483 रकबा 62 ऐयर,ख0नं0 484 रकबा 51 ऐयर,ख0नं0 1400 रकबा 16 ऐयर,,ख0नं0 1401 रकबा 26 ऐयर,ख0नं0 1402 रकबा 37 ऐयर,ख0नं0 1403 रकबा 12 ऐयर,ख0नं0 1404 रकबा 9 ऐयर,ख0नं0 1405 रकबा 18 ऐयर,ख0नं0 1406 रकबा 2 ऐयर, ख0नं0 1408 रकबा 71 एयर, ख0नं0 1407 रकबा 5 ऐयर ख0नं0 1540 रकबा 5 ऐयर ख0नं0 1541 रकबा 5 ऐयर,ख0नं0 1545 रकबा 1 ऐयर, ख0न0 1546 रकबा 5 ऐयर, ख0नं0 1547 रकबा 9 ऐयर कुल किता 16 रकबा 3 हेक्टर 34 ऐयर पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज 1/3 हिस्से का दर्ज करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। (बी)मौके पर मुताबिक बंटवारा व कब्जे के अनुसार वादीगण के नाम इन्द्राज किया जावें।(सी) प्रतिवादी को स्थाईनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं जब तक वैध बंटवारा नहीं हो तब तक किसी भी बैंक के यहा रहन रखकर ऋण प्राप्त नही करें। (डी) राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती वादीगण के नाम 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या –1 के नाम 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या–2 लगायत 10 के नाम 1/3 हिस्से का इन्द्राज वारिसान के मुताबिक किया जावें। (ई)अन्य दादरसी जो भी मुफीद हो न्यायहित में वादीगण को दिलाई जावे।

प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि दावे के मद नं0 1 लगायत 12 स्वीकार किया एवं 13 कानूनी बिन्दु होना अंकित किया तथा वाद पत्र में मद नम्बर 14 में अंकित दादरसी ऐ से ई वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। एवं चाही गई दादरसी के अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने में मुझ प्रतिवादी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। विशेष विवरण :– ख0नं0 242 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 243 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 244 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 828 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 829 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा के हाल नवीन ख0नं. भू0प्रबंधविभाग द्वारा बनाये गये नया ख0नं0 483 रकबा 62 ऐयर,ख0नं0 484 रकबा 51 ऐयर,ख0नं0 1400 रकबा 16 ऐयर,,ख0नं0 1401 रकबा 26 ऐयर,ख0नं0 1402 रकबा 37 ऐयर,ख0नं0 1403 रकबा 12 ऐयर,ख0नं0 1404 रकबा 9 ऐयर,ख0नं0 1405 रकबा 18 ऐयर,ख0नं0 1406 रकबा 2 ऐयर,ख0नं0 1407 रकबा 5 ऐयर, ख0नं0 1408 रकबा 71 एयर ख0नं0 1540 रकबा 5 ऐयर ,ख0नं0 1541 रकबा 5 ऐयर,ख0नं0 1545 रकबा 1 ऐयर, कुल किता 16 रकबा 3 हेक्टर 34 ऐयर में से मुझ प्रतिवादी का 1/3 हिस्से पर ही कब्जा काश्त है। एवं 1/3 हिस्से पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने वर्तमान में सरसों की फसल बो रखी है। एवं वादीगण का मौके पर 1/3 हिस्से पर मृतक बदरी पुत्र पाचू के जीवनकाल के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड सम्वत 2026 से 2029 की जमाबन्दी से वादी एवं प्रतिवादीगण का जमाबंदी के अनुसार साबित है।वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है उसी के अनुसार राजस्व जमाबंदी में इनद्राज 1/3– 1/3 हिस्से बका किया जावें क्योंकि विवादित भूमि मृतक के जीवनकाल की होने के कारण वादीगण को भी 1/3 हिस्से में इन्द्राज दुरूस्त करवाने का इस्तकरार हक प्राप्त है। में प्रतिवादी रामकिशन का गोद पुत्र हूँ इसलिए जमाबंदी में इन्द्राज हरफूल दत्तक पुत्र रामकिशन के नाम का इन्द्राज किया जावें। एवं वाद पत्र वादी 1/3 – 1/3 हिस्से के अनुसार डिक्री कर दिया जावें, मुझ प्रतिवादी के नाम 1/2 हिस्से का इन्द्राज है उसको 1/3 हिस्से का इन्द्राज कर दिया जावें।

प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 ने जवाबदावा पेश कर अंकित किया है कि वादी पत्र के मद नं0 1 लगायत 14 अस्वीकार है विशेष विवरणः– रामकिशन लाऔलाद फोत हुआ है। तथा उसकी भूमि के स्वामी 1/2 हिस्से के रंग लाल के वारिसान है तथा 1/2 हिस्से की भूमि के बदरी के वारिसान है। तथा मौके पर इसी प्रकार विभाजन हो रहा है रामकिशन के मरने के पश्चात उक्त भूमि का 1/2 हिस्से के खातेदार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 हरफूल व 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या

सहायक कलेक्टर
भू0 सवाई माधोपुर

2 लगायत 10 है। प्रतिवादी संख्या एक का पिता बद्री है।, तथा वह बद्री की सन्तान है। अब फर्जी रूप से जमीन हडप करने के लिऐ दत्तक पुत्र बन रहा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या एक ने सभी जगह अपने पिता का नाम बद्री दर्ज कराया है। तथा सारा रिकोर्ड हरफूल पुत्र बद्री के नाम है। प्रतिवादी संख्या एक का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र हरफूल पुत्र बद्री लाल के नाम से है तथा उस पर उसने अपनी स्वम् की फोटो चिपकाई है। असल प्रतिवादी के कब्जे में है फोटो प्रति जवाब के साथ संलग्न है। प्रतिवादी ने अपने 10 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.7.2003 को गिरधारी पुत्र चतरू मीना को विक्रय की है, जिसमें भी उसने अपना पिता का नाम बदरी बतलाया है, उसमें दत्तक पुत्र. रामकिश्न दर्ज नही है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या एक द्वारा हरफूल पुत्र बदरी के नाम से समस्त दस्तावेज व बैक आदि से दर्ज करवा रखे है । हरफुल दत्तक पुत्र रामकिशन दर्ज नही कराया है। यह कि बद्री की मृत्यु पर उसका उत्तराधिकार का नामन्तकरण भी पांचो भाईयों के नाम तस्दीक हुआ है। उसमें बद्री के पांच उत्तराधिकारी हरफूल,जगदीश,घनश्याम,सीताराम,राधेश्याम दर्ज है। यह है कि बदरी पुत्र पांचू की भूमि हरफूल पुत्र बदरी,जगदीश पुत्र बद्री,घनश्याम पुत्र बद्री,सीताराम पुत्र बद्री ,राधेश्याम पुत्र बद्री के नाम 1/2 हिस्से में दर्ज होना चाहिये किन्तु उन्होने आपस में साज करके प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 की भूमि हडपने के लिये दावा किया है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा सही दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1 ने अपने भाईयों का हिस्सा भी अपने नाम दर्ज करा लिया है। तथा बैंक के साथ धोखा किया है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाने की कृपा करें। पत्रावली में साक्ष्य वादी में राधेश्याम का शपथ पेश किया किन्तु प्रतिवादी को जिरह हेतु कई अवशर प्रदान किये जाने पर भी वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नही की जाने पर दिनांक 11.6.2012 को वादी साक्ष्य जिरह बंद की गई । साक्ष्य प्रतिवादी में भी प्रतिवादीगण को कई अवशर दिये जाने पर साक्ष्य पेश नही करने पर दिनांक 15.10.2012 की आदेशिका से प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द कर दी गई। एवं बहस हेतु भी प्रतिवादी को कई अवसर दिये जाने पर प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण आदेशिका दिनांक 07.8.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी दौराने बहस वकील वादी ने उप जिला कलेक्टर,सवाई माधोपुर का निर्णय दिनांक 8.11.2010 मु0न0 12/07 उनवानी हरफूल दत्तक पुत्र रामकिशन बनाम सरकार ,सजरा वंशावली जागा,गोदनामा की तहरीर दिनांक 25.4.62 एवं नामा0 सं0 49 दिनांक 7.6.64 की छाया प्रतियां पेश की। उप जिला कलेक्टर के निर्णय दिनांक 8.11.2010 द्वारा हरफूल को दत्तक पुत्र रामकिशन होना मान लिया है। अतः विद्ववान वकील वादी की बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व साक्ष्य शपथ पत्र बयान का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा दावा इस्तकरार हक,स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,188,राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत पेश किया है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा का अवलोकन व मनन किया गया।

अवलोकन व मनन पश्चात् पत्रावली में वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रारम्भ से राजस्व रिकार्डस पर्चा खतोनी सम्वत 2003से 2023 बीस साला जिसमे रामकिशन,रंगालाल बदरी पिसरान पांचू मीना का नाम दर्ज है। जिसकी पहली जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2021 बनी जिसमें भी रामकिशन रंगा बदरी हिस्सा बराबर दर्ज है। उसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में मृतक रामकिशन के स्थान पर प्रतिवादी सख्या 1 हरफूल वल्द बदरं के नाम नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 7.6.64 खोला गया शेष अंकन पूर्वनुसार रहा। जिसको उप जिला कलेक्टर,सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 8.11.2010 से हरफूल को दत्तक पुत्र रामकिशन होना मान लिया है। जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 एवं 2030 से 2033 में भी हरफूल पुत्र बदरी मीना रंगा व बदरी पुत्रान पांचू मीना हिस्सा बराबर दर्ज था। नामान्तरकरण संख्या 180 दिनांक 17.10.1977 से रंगा के वारिसान भेरू लाल मोती हंसा पिसरान रंगा के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हुआ नामान्तरकरण में भी हरफूल पुत्र बदरी , रंगा के

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

रामकिशन रंगा बदरी हिस्सा बराबर दर्ज है। उसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में मृतक रामकिशन के स्थान पर प्रतिवादी सख्या 1 हरफूल वल्द बदरी के नाम नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 7.6.64 खोला गया शेष अंकन पूर्वनुसार रहा। जिसको उप जिला कलेक्टर,सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 8.11.2010 से हरफूल को दत्तक पुत्र रामकिशन होना मान लिया है। जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 एवं 2030 से 2033 में भी हरफूल पुत्र बदरी मीना रंगा व बदरी पुत्रान पांचू मीना हिस्सा बराबर दर्ज था। नामान्तरकरण संख्या 180 दिनांक 17.10.1977 से रंगा के वारिसान भेरू लाल मोती हंसा पिसरान रंगा के नाम नामान्तरकरण स्वीकार हुआ नामान्तरकरण में भी हरफूल पुत्र बदरी , रंगा के वारिसान व बदरी पुत्र पांचू का नाम अंकन था किन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 में अमल होने पर वादीगण के पिता का का नाम जमाबन्दी से हफ्ज कर जमाबन्दी में हरफूल पुत्र बद्री भेरुलाल,मोती,हंसा पि0 रंगा कोम मीना हि0 बराबर ही रख दिया गया।जबकि मृतक बदरी के वारिसान आज भी मोजूद है। एवं मृतक बदरी के 1/3 हिस्से पर वादीगण आज भी काबिज काश्त हैं वादीगण के पिता की मृत्यु 1987 में हुई थी एवं नामान्तरकरण संख्या 345 दिनांक 6.5.87 को राजस्व रिकार्ड में अमल हो गया था। जिसकी प्रति वाद पत्र के संलग्न पेश की हैं। बदरी लाल के वारीसान जगदीश प्रसाद घनश्याम, सीताराम ,राधेश्याम के नाम स्वीकार हुआ। किन्तु उक्त विवादित भूमि में नामान्तरकण नही खुला । एवं प्रतिवादी संख्या –1 ने अपने जवाबदावे में वादीगण के पक्ष में दावा डिक्री करने में कोई आपत्ति नही होने बाबत् अंकित किया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 को जिरह एवं साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी अपने समर्थन मे कोई साक्ष्य व ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस विनिश्चयन पर पहुॅचा हैं कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम रईथा कला तहसील सवाई माधोपुर में स्थित आर.जी ख0नं0 242 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 243 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 244 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 828 रकबा 4 बिस्वा, ख0नं0 829 रकबा 16 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है जिनके नवीन ख0नं0 483 रकबा 62 ऐयर,ख0नं0 484 रकबा 51 ऐयर,ख0नं0 1400 रकबा 16 ऐयर,,ख0नं0 1401 रकबा 26 ऐयर,ख0नं0 1402 रकबा 37 ऐयर,ख0नं0 1403 रकबा 12 ऐयर,ख0नं0 1404 रकबा 9 ऐयर,ख0नं0 1405 रकबा 18 ऐयर,ख0नं0 1406 रकबा 2 ऐयर, ख0नं0 1408 रकबा 71 एयर, ख0नं0 1407 रकबा 5 ऐयर ख0नं0 1540 रकबा 5 ऐयर ख0नं0 1541 रकबा 5 ऐयर,ख0नं0 1545 रकबा 1 ऐयर, ख0न0 1546 रकबा 5 ऐयर, ख0नं0 1547 रकबा 9 ऐयर कुल किता 16 रकबा 3 हेक्टर 34 ऐयर पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या–1 के कायम मुकामान के 1/1 लगायत 1/5 के 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 10 के 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी को स्थाईनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के निर्णय में अंकित हिस्से की कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मियाद गुजरने बाद दाखिल दफ्तर हो ।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर

सहायक कलेक्टर
सवाई माधोपुर